न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्ज्वल राठौड़ आई0ए0एस0

GCMS No.2020/00181 (Bank Case)
Manual no- 66/2020

बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा कार्यालय बोरखेड़ा जिला– कोटा राजस्थान
– **प्रार्थी /सिक्योर क्रेडिटर**

बनाम

1. श्रीमति विनिता राज पत्नि श्री लाल चन्द आसवानी
पता–मकान नं. 50, न्यू ग्रेन मण्डी कोटा,राज. **(ऋणी/अप्रार्थीगण)**
पता– 2–जी–30, विज्ञान नगर, कोटा, राज.
c/o लाल चन्द एण्ड कम्पनी, 6–ए, न्यू ग्रेन मण्डी, कोटा राज.
2. श्री नितिन कुमार प्रत्यानी पुत्र श्री हरगुण दास प्रत्यानी
c/o श्री मॉ कलेक्शन, 118 विजय मार्केट, बोरखेड़ा,भोपाल मध्यप्रदेश
बी– 220, इन्द्रपुरी, बी सेक्टर, हुजुर भोपाल, मध्यप्रदेश
मकान नं. 50, न्यू ग्रेन मण्डी, कोटा राज. **(सह–ऋणी)**
3. श्री लालचन्द आसवानी पुत्र श्री मोहन लाल आसवानी
मकान नं. 50, न्यू ग्रेन मण्डी, कोटा राज.
2–जी–30, विज्ञान नगर, कोटा, राज.
c/o रमेश चन्द मोहन लाल, 15, न्यू ग्रेन मण्डी, कोटा राज.**(सह–ऋणी)**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्यूरीटीजेशन रिक्सट्रक्शन आफ फाईनेंशियल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित
श्री अविनाश ठाकुर , अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः 14 .10 .2020

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा कार्यालय बोरखेड़ा, कोटा राजस्थान से अप्रार्थी/ऋणी ने केश टर्म लोन खाते में रू. 1,88,00000/– (अक्षरेः रूपये एक करोड़ अठ्यासी लाख मात्र ।) ऋण राशि दिनांक 16.02.2018 को लिया था । अप्रार्थी ऋणीं द्वारा उक्त ऋण की सुविधा के ऐवज में ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **अचल सम्पत्ति श्रीमति विनिता राज पत्नि श्री लाल चन्द आसवानी की संपत्ति जो मकान नं. 50,न्यू ग्रीन मंडी, कोटा राजस्थान पर स्थित है, जिसका क्षैत्रफल 2700 वर्गफिट (कॉमर्शियल एरिया – 2000 वर्गफिट और आवासीय एरिया 700 वर्गफिट) है । सीमाएं पूर्व में–प्लॉट नं. 51, पश्चिम में– प्लॉट नं. 49 , उत्तर में– प्लेटफार्म , दक्षिण में– रोड़** को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी के खाते को दिनांक 29.02.2020 को एन.पी.ए. कर दिया गया । अप्रार्थी उसके खाते मे 1,90,24,955.46/– (अक्षरे रूपये एक करोड़ नब्बे लाख चोईस हजार नो सौ पचपन व छियालिस पैसे मात्र।) बकाया रकम दिनांक 23.02.2020 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है । प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण

जिला मजिस्ट्रेट कोटा (राज०)

को दिनांक 03.03.2020 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नही संभलाया है । प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उनके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस अप्रार्थीगण दिनांक 03.03.2020 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस को दिनांक 03.03.2020 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थी द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/ बंधककर्ता **अचल सम्पत्ति श्रीमति विनिता राज पत्नि श्री लाल चन्द आसवानी की संपत्ति जो मकान नं. 50,न्यू ग्रीन मंडी, कोटा राजस्थान पर स्थित है, जिसका क्षैत्रफल 2700 वर्गफिट (कॉमर्शियल एरिया – 2000 वर्गफिट और आवासीय एरिया 700 वर्गफिट) है । सीमाएं पूर्व में–प्लॉट नं. 51, पश्चिम में– प्लॉट नं. 49 , उत्तर में– प्लेटफार्म , दक्षिण में– रोड़** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 14 .10. 2020 को सुनाया गया ।

14/10/2

(उज्ज्वल राठौड़)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा